न्यायालय तहसीलदार बीकानेर

मिसल नं0 15/19 | निर्णय दिनांकः– 25.10.19

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का किलचू देवसर ने रिपोर्ट (पी 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि संवत् 2076 में गैर सायल सोहनराम पुत्र मोहनराम जाति ढोली निवासी ग्राम [illegible] ने ग्राम [illegible] के खसरा नं0 252 के तादादी 0.10 है. क्षेत्रफल................... में नाजायज [illegible] गैर मुमकिन राजकीय ओरण/जोहड पायतान/ गोचर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है। संबंधित गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। जिस पर गैर सायल की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। जिससे साबित होता है कि अतिक्रमी ने जान–बूझकर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है।

गैर सायल श्री सोहनराम जाति ढोली निवासी [illegible] द्वारा ग्राम [illegible] के खसरा नं0 250 तादादी 0.10 है. भूमि में अतिचार करने पर राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा–91 के प्रावधानों के अनुसार श्री सोहनराम पुत्र श्री मोहनराम को अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं भू–राजस्व 0.145 रू0 का 50 गुणा कुल दर / राशि 8.50 रू0............ का तावान से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखल कर खडी फसल को कुर्क कर फसल नीलामी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त देवसर तथा पटवारी प0ह0 किलचू देवसर को आदेश दिये जाते है। अतिक्रमी को राजकीय भूमि से बेदखल करने तथा कब्जा बहक सरकार लेने हेतु निरीक्षक/हल्का पटवारी को लिखा जावे तथा तावान वसूली बाबत् पटवारी हल्का एवं मांग कायमी के लिये टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम की जावे।

[illegible]

तहसीलदार(राजस्व)

बीकानेर

Scanned by CamScanner